मेजर सिंह आदि **बनाम** पिन्द्रपाल कौर आदि

अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट नम्बर 03 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/153

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो तामील में
04.07.2025 पक्षकारान का राजीनामा हो गया है। पत्रावली का फैसला कर दिया जावे 4/7/25 गुरजीत सिंह मान (एडवोकेट) No objection Jasunder Adv. (जसविन्द्र सिंह)	अपीलांट अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्तागण के द्वारा अर्ज किया कि अपील के अनुतोष में सहवन से मुरब्बा नम्बर 51 के स्थान पर 57 अंकित हो गया है। जिसे दुरूस्त किया जावे। लिहाजा अपील के अनुतोष में मुरब्बा नम्बर 57 के स्थान पर 51 पढे जाने के आदेश दिए जाते है। लाल स्याही से अंकन किया जावे। रेस्पोडन्ट अधिवक्तागण के द्वारा अपील पर अनापत्ति जाहिर की तथा अर्ज किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है, तो हम रेस्पोडेन्टगण को कोई आपत्ति एतराज नहीं है। बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि ग्राम पंचायत 14 एस माझीवाला का नामान्तरण संख्या 556 दिनांक 06.03.2025 को निरस्त कर बैयनामा के अनुसार चक 29 एच के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 9/4 की 0.063 हैक्टेयर अर्थात 5 बिस्वा का नामान्तरण अपीलांट के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करे। रेस्पोडेन्टगण अधिवक्ता के द्वारा अपील स्वीकार किए जाने पर सहमति दर्शाई है। लिहाजा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट भली–भांति साबित होने से स्वीकार की जाकर राजस्व ग्राम 29 एच के इन्तकाल संख्या 556 दिनांक 06.03.2025 को पंजीकृत बैयनामा हरनेक सिंह बहक मेजर सिंह दिनांक 15.09.2014 की हद तक निरस्त किया जाता है तथा अपीलांट मेजर सिंह को पंजीकृत बैयनामा हरनेक सिंह बहक मेजर सिंह दिनांक 15.09.2014 की रूह से राजस्व ग्राम 29 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 78/76 की कुल 5.477 हैक्टेयर भूमि में से पिन्द्रपाल कौर, मनदीप कौर, वीरपाल कौर के नाम दर्ज भूमि में से 0.032 हैक्टेयर भूमि का व सुखचैन सिंह के नाम दर्ज भूमि में से 0.031 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जांकर मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 9/4 की 0.063 हैक्टेयर बाग भूमि का उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। **सहायक कलक्टर एवं पदेन** **उपखण्ड अधिकारी** **श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)**	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) सत्यमेव जयते